

लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

संख्या	152/21	धारा अंतर्गत	53,188	निर्णय दिनांक	12.9.22
समक्ष	श्री दिवांशु झा ए. एफ. उपखण्ड अधिकारी बारां				
उपरिस्थिति - अभिभाषक वादी	श्री सत्यनारायण चौधरी	अभिभाषक प्रतिवादी	श्री रविंद्र कुमार		

वाद शीर्षक

- लिखित पुत्र देवीशंकर जाई धाकड विवासी डीलोडा तह. बारां
1. रविेश पुत्र देवीशंकर जाई धाकड विवासी डीलोडा तह. बारां
2. उदीप नागर पुत्र सीताराम जाई धाकड विवासी कनपुराण्ड तह. खानपुरा कि. भा. लाकड
3. राज. सा. का. जम. तहसीलडा. बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

जम. विभाजन प्रस्ताव खंडाट करी एवं जम. करी गण के मध्य हृषक-हृषक विभाजन विभाजित किया जाय :-

क्र.सं.	रकब	डिक्री
1. लिखित पुत्र देवीशंकर जाई धाकड सा. डेट	779/184 0.01	अमद
रहन 808 शाख कोय रोड बारां	780/185 1.57	अमद
कुल 2		1.58 हे. -
2. रविेश पुत्र देवीशंकर जाई धाकड सा. डेट	779/184 0.01	अमद
रहन 808 शाख कोय रोड बारां	780/185 1.57	अमद
कुल 2		1.58 हे. -
3. उदीप नागर पुत्र सीताराम जाई धाकड सा. कनपुराण्ड	779/184 0.01	दक्षिणी
तह. खानपुरा कि. भा. लाकड रहन. कौडी रक. क्षेत्री जाई धाकड सा. डेट	780/185 1.57	दक्षिणी
कुल 2		1.58 हे. -

साथ ही नियमानुसार रू० का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12.9.22 को निर्गत किया गया।

उपरि उल्लेखित विवादों के कारणों के जम. डीलोडा तह. बारां का करी एवं जम. करी गण के मध्य हृषक-हृषक विभाजन किया जाय रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रार के डेट तहसीलडा. बारां को आदेशित किया जाय :-

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
5	पारिश्रमिक अभिभाषक	
6	व्यय साक्षी	
7	फीस कमिशनर	
8	अन्य/क्षतिपूर्ति	

गिरमि कजलाम श्री दिनांशु शर्मा आर ए एम
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां कर अद्वयगति

उकरण सं. 152/2024 राका

दाफरा दिनांक :- 6-12-2021

गिरमि दिनांक :- 29-7-22

उपनाम

ललित पुत्र देवीशंकर जाति धाकड गिवासी दीलोदा तह बारां
बनाम

- 1- राकेश पुत्र देवीशंकर जाति धाकड गिवासी दीलोदा तह बारां
- 2- उदीप नागर पुत्र सीताराम जाति धाकड गिवासी कंकडुण कंड तह
खागडु खिजा झालावाड
- 3- राज- लाला जर्ष तहसीलदार बारां

काड फग धारा - 53, 188 RTA

गिरमि दिनांक :- 29-7-22

- उपाक्षिप्त आक्षिप्तक - 1 - ललितनारायण मीणा - काडी
2 - श्री ललित जामोडिया - जाडि - 1
3 - श्री राकेश कुमाल पुत्र - जाडि - 2

आक्षिप्तक काडी कर काड फग उरुमत धारा 53, 188
RTA विरुद्ध जाडि काडी गण के नदाम. से उरु आशप का पेअ किम
कि उरु दीलोदा तह बारां के खरु. 779/184 रकम 0.03 हे. ख. सं.
780/185 रकम 4.71 हे. खिज हे, उरु करिण आराजीमान काड की
विषम वरु हे उरु करिण गिवासी आराजी वरुगाण राजरु रिकर्ड से
काडी व जाडि काडी कु 152 की तहसुल खोलेसरी से अक्षिप्त हे तथा
काडी का हिस्सा $\frac{1}{3}$ एन जाडि काडी कु 152 का हिस्सा $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$ अक्षि
हे नाडी एन जाडि काडी कु 1 के भाई धनराज कर उरुका हि. $\frac{1}{3}$.

W

ललित - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

जाँच नहीं कर 2 को बेनाम कर दिया है जिस पर वर्तमान में करीब
 जाँच नहीं कर 2 काष्ठ है। नहीं एवं जाँच नहीं कर 1 व 2 के मध्य
 बाहरी विभाजन से जुड़ा है तथा बाहरी विभाजन अडाल नहीं एवं
 जाँच नहीं कर 1 व 2 ऊपर-ऊपर हिस्से पर मोके पर काष्ठ काष्ठ
 चले आ रहे है तथा नहीं व जाँच नहीं कर 1 व 2 जाँच वर्ष ऊपर ऊपर
 हिस्से की जाँच फलल पैदा करते व कारो चले आ रहे है उक्त विवादि
 आराजीपान में दृष्टिकोण लगा हुआ है व कृषि विद्युत कठोरकत नहीं
 एवं जाँच नहीं कर 1 के पिता श्री देवीशंकर के नाम मला आ रहा है
 नहीं एवं जाँच नहीं कर 1 के मध्य दिनांक 24-6-2021 को मध्य मस
 हुआ है कि दोनो से ले कोई ऊपर हिस्से की आराजी बेनाम केला
 तो दृष्टिकोण को नहीं बेनाम उक्त बाका 500 के लागू व एक काष्ठ
 पर एक इकरानाग राकेस नाम पर जाँच नहीं कर 2 बरा दिनांक 24/6/21
 आलेखित कलाकल गवाही गवाहन कलाकल गोदारी पब्लिक के जापित
 कलाकल था।

जाँच नहीं कर 1 के मग के बदमाची आ गयी है और
 उक्त इकरानाग का उल्लंघन करते उए ऊपर हिस्से की आराजी के
 लाभ दृष्टिकोण को भी बेनाम कले पर आगादा है जिसका जाँच की
 कर 1 को कोई एक व अधिकतम जाप नहीं है। नहीं ऊपर 1/3 हिस्से
 की विवादि आराजी को मोके पर काष्ठ कला है तथा उक्त दृष्टिकोण
 के विचार कला आ रहा है लेकिन जाँच नहीं कर 1 कि एक व
 अधिकतम के उक्त विवादि आराजी को पैत्रिक कंपनी है पर लगे उए
 दृष्टिकोण व उए पर लगे विद्युत कठोरकत को बेनाम कले पर आगादा
 है। इस कारण विवादि आराजीपान का मोके पर दृष्टिकोण-दृष्टिकोण
 व दृष्टिकोण-दृष्टिकोण जाँचारी अकिन कलाकल आवश्यक है मग है जाँच
 कर 1 को उक्त दिनांक कले के व्यवधान उत्पन्न कला रहा है तथा
 नहीं को धनकी देल है कि उरे हिस्से की जलात को ऐसे जावशारी
 कलाके को बेनाम जिससे तेरा खेन पर जाग व खेरी कला उश्काए
 जापेगा। मग दृष्टिकोण लगे भी तेरे हिस्से की जलात बेनाम कला
 पेजा साथ ही नहीं शागलावी खाल छोडे से सकारी लगे जाप
 कले व किसान क्रेडिट कार्ड गारी कलाकल कृषि दृष्टिकोण जाप कले के
 अदुहिधा खेरी है इस कारण नहीं विवादि आराजी के जो ऊपर हिस्से

WV

लगातार- 3

उपखण्ड अधिकारी
वाराँ

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

आवृत्तिक डिक्री

संख्या	152/21	भारा अंतर्गत	53, 188 RTA	निर्णय दिनांक	27-7-22
समक्ष	श्री दिवांगु शर्मा जज एच एच उपखण्ड अधिकारी बारां				
उपस्थिति	अभिभाषक वादी सत्यनारायण शीका	अभिभाषक प्रतिवादी	श्री सत्यनारायण शीका		

वाद शीर्षक

- लाभित हुए देवीशंकर जाई धाकड जिकारी हीमोदा तह बारां
- 1- नकिये हुए देवीशंकर जाई धाकड जिकारी हीमोदा तह बारां
 - 2- उदीप नाल हुए हीमोदा जाई धाकड जिक केवलपुराण तह खण्डल नालावड
 - 3- राज-सकाल जपे नदीजाल बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

नदी का कांड सुनाधिक राजनामा लीकाल किया जाय है
 विवाहिन आराजी वाके उल हीमोदा तह बारां के ख-उं नमड/184 रकवा
 8.03 हे, ख-नं 780/185 रकवा 4.71 हे में वादी का 1/3 हिस्सा उल दिया
 में उदि कदी का 1 का हिस्सा 1/3 मजम में तथा उदिगरी का 2 का हिस्सा 1/3
 दक्षिण दिशा में रहेगा तथा दक्षिण दिशा में लडि ककनशन नदी के हिस्से
 में रहेगा। उन्नाउणाल दिवादि आराजी का हफड-उयड किताजक कल
 किताजक उलस किताजक हेउ नदीजाल बारां को आदेशित किया जाय
 है।

साथ ही नियमानुसार रू० का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।
 उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29-7-22 को निर्गत किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)	
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक	
6.	व्यय साक्षी	
7.	फीस कमिश्नर	
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति	